न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–81/2020

01. श्रीराम पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर, राजस्थान।

..... प्रार्थी

बनाम

01. शेराराम पुत्र हड़मानराम जाति ब्राहमण निवासी हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

02. रामीदेवी पत्नि गणेशाराम
03. प्रकाशचन्द्र
04. जेठी
05. रेवंती
06. दुर्गाराम

पि0 गणेशाराम — जाति मेघवंशी निवासीगण हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

07. गोपालराम
08. रामी
09. शान्ति

पि0 मोहनराम — जाति मेघवंशी निवासीगण हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

10. सोना
11. लिछमा
12. रेवन्ती

पुत्रियां मालूराम पुत्र आसूराम जाति मेघवंशी निवासीगण हंसेरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–
01. श्री रामकरण मूण्ड अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
02. श्री श्यामदीन पड़िहार अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट

निर्णय **दिनांक :–26.03.2024**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामकरण मूण्डने दिनांक 02.09.2020 को अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत का पेश किया जिसके तथ्य संक्षिप्ततः इस प्रकार हैं कि

"प्रार्थी के नाम से मौजा रोही दुलमेरा तहसील लूनकरनसर के ख0न0 185 रकबा 9.23 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए जो कटानी रास्ता है वह प्रार्थी को अपने खेत में पहुचने के लिए 20 किमी दुरी तय करनी पड़ती है। जो ग्राम उत्तमदेसर से चलकर आता है जो प्रार्थी के खेत तक आता है लेकिन प्रार्थी को ग्राम दुलमेरा

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

स्टेशन में बने अपने मकान में जाने के लिए कोई रास्ता नही है प्रार्थी के खेत से लगभग 5 बीघा दुर चक 3 डी.एल.एम के मु0न0 158/57 के कि0न0 21/2 के चक की सरहद लगती है जिसमें कटानी रास्ता है जो ग्राम दुलमेरा स्टेशन जाता है प्रार्थी के खेत से ग्राम दुलमेरा स्टेशन मात्र 02 किमी पड़ता है, इससे नजदीक एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता प्रार्थी के पास नही है प्रार्थी की भूमि से लगभग 5 बीघा पूर्व दिशा की दूरी पर कटानी रास्ता है प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2 जो अप्रार्थी सं. 01 के नाम से है जिसकी दक्षिण दिशा की सीव पर चक 3 डी एल एम से लगता हुआ पूर्व से पश्चिम व खसरा नम्बर 5 जो अप्रार्थी सं. 02 ता 09 के पति/पिता/दादी/सास / माता व अप्रार्थी सं. 07 के स्वयं के नाम की भूमि में से दक्षिण दिशा की सींव पर पूर्व से पश्चिम चक 3 डी एल एम की सीमा से लगता हुआ । अप्रार्थी सं. 10 ता 12 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बर 6 की भूमि है अप्रार्थी सं. 10 ता 12 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है ख०न0 06 के दक्षिण दिशा की सीव पर पूर्व से पश्चिम चक 3 डी.एल.एम की सीमा से लगता हुआ कटवाना चाहते है ख०न० 02,05,06 में रास्ता कटने से जो चक 3 डी.एल.एम के मुरब्बा नम्बर 158/57 के कि0न0 21/2 में जो रास्ता मौका पर चल रहा है उससे प्रार्थी ग्राम दुलमेरा स्टेशन जाने के लिए नजदिकी रास्ता हो जायेगा। उपरोक्त खसरो मे रास्ता कटने से ग्राम दुलमेरा, धीरेरा, सुरनाना व अन्य चक इस रास्ते से जुड़ जायेगे व लोगो को आने जाने मे सुविधा रहेगी । अप्रार्थी सं. 2 ता 6 के पति/ पिता का स्वर्गवास हो चुका है पति/पिता/दादी/सास/माता दामा व गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है अप्रार्थी सं. 02 ता 06 गणेशाराम व दामा के जायज वारिस है व अप्रार्थी सं. 07 ता 09 दामा के जायज वारिस है अप्रार्थी स. 10 ता 12 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है अप्रार्थी सं. 10 ता 12 मालूराम पुत्र आसुराम के जायज वारिसा है। प्रार्थी ग्राम रोही दुलमेरा स्टेशन के खसरा नम्बर 2 की दक्षिण दिशा की सींव पर पूर्व से पश्चिम 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 5 की दक्षिण दिशा की सीव पर पूर्व सं पश्चिम 2 बिस्वा व ख0न0 06 की दक्षिणी दिशा की सींव पर पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थी ग्राम दुलमेरा स्टेशन से अपने खेत रोही दुलमेरा के ख0न0 185 तादादी 9.23 हैक्टेयर मे आ–जा सकेगा इससे नजदीक ग्राम दुलमेरा स्टेशन से ग्राम दुलमेरा के ख0न0 185 मे जाने के लिए ओर कोई रास्ता नही है।

रोही दुलमेरा के खसरा नम्बर 185 के पूर्व दिशा में 5 बीघा दुरी पर चक 3 डी.एल.एम के मु0न0 158/57 के कि०न० 21/2 में रास्ता कटानी है जो प्रार्थी के सबसे नजदीकी कटानी रास्ता है रोही दुलमेरा स्टेशन के खसरा नम्बर 2, 5, 6 में रास्ता मात्र कटानी नही है व खसरा नम्बर 2 के चिपते है पश्चिम दिशा में रोही दुलमेरा की सरहद लगती है रोही दुलमेरा स्टेशन के खसरा नम्बर 2 के पश्चिम दिशा में चिपता हुआ रोही दुलमेरा का खसरा नम्बर 185 है जिसमें रास्ता कटानी है मात्र रोही दुलमेरा स्टेशन के खसरा नम्बर 2/5, 6 में रास्ता कटानी नही है। खसरा नम्बर 2, 5, 6 की 5 बीघा भूमि पर उपरोक्तानुसार रास्ता नियमानुसार काटने से चक 3 डी.एल.एम के मु0न0 158/57 के कि0न0 21/2 में कटानी रास्ता में मिल जायेगा । जिससे ग्राम दुलमेरा स्टेशन से ग्राम दुलमेरा उत्तमदेसर आदि गांवो में जाने के लिए सार्वजिनक रास्ता व प्रार्थी को ग्राम दुलमेरा स्टेशन से खेत रोही दुलमेरा के खसरा नम्बर 185 में जाने के लिए रास्ता मिल जायेगा जो जबकि अब प्रार्थी को अपने खेत में जाने सव मात्र दो–तीन किमी दुरी पर लगभग 20 किमी की दुरी से घुमकर आना पड़ता है व जगह जगह पर रास्ता को अवरुद्ध कर रखा है जिससे प्रार्थी को अपने खेत में जाने मे बहुत परेशानी होती है प्रार्थी ग्राम उही दुलमेरा स्टेशन के खसरा नम्बर 2, 5, 6 में उपरोक्तानुसार नियमानुसार रास्ता कटाना चात है जिससे प्रार्थी व ग्राम स्टेशन दुलमेरा, ग्राम दुलमेरा व ग्राम सुरनाणा, हंसेरा के लोगो अपने खेतो में आने जाने के लिए सुविधा रहेगी जिससे प्रार्थी भी अपनी खातेदारी भूमि में आ जा सके व अपने खेत मे पशुधन ट्रेक्टर ले जा सके फसल की रखवाली कर सकें।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

यह कि प्रार्थी की भूमि में ग्राम दूलमेरा स्टेशन से आने–जाने के लिए ओर कोई स्वीकृत रास्ता नजदीकी नहीं है, प्रार्थी को अब अपने खेत में जाने के लिए लगभग 20 कि०मी दुरी तय करनी पडती है जबकि ग्राम रोही दुलमेरा स्टेशन के खसरा नम्बर 2, 5, 6 मे उपरोक्तानुसार रास्ता कटानी होने पर लगभग दो–तीन किमी की दुरी तय करनी होगी। प्रार्थी अपने खेत में अप्रार्थीगण से रास्ता मांगकर जाता है कभी किसी अन्य के खेत में रास्ता कानूनी स्वीकृत नहीं होने के कारण अन्य काश्तकार अपने खेत में से आने जाने नहीं देते है जिसके कारण प्रार्थी की फसल उजड जाती है व प्रार्थी अपनी जमीन में काश्त नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए स्वीकृत रास्ता की आवश्यकता है।''

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार लूनकरनसर से वांछित बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थीगणों की तलबी एवं तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली दिनांक 29.09.2023 को वास्ते बहस नियत की गयी। दिनांक 15.03.2024 को उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अजखुद स्वीकार किया कि प्रार्थी की भूमि में कटानी रास्ता मौजूद है। वकील अप्रार्थी ने अर्ज किया कि प्रार्थी को कटानी मार्ग उपलब्ध होने के कारण आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होने पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 2 में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि मौजा रोही दुलमेरा तहसील लूनकरनसर के ख0न0 185 रकबा 9.23 हैक्टेयर बारानी में कटानी रास्ता होना अंकित किया है तथा नये रास्ते की मांग का आधार सुविधा होना अंकित किया है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 व 21.09.2023 मे संलग्न नजरी नक्शे मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 9.23 हैक्टेयर मौजा रोही दुलमेरा तहसील लूनकरनसर में कटानी मार्ग विद्यमान होना अंकित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है और प्रार्थी ने केवल सुविधा हेतु नये रास्ते की मांग की है। अतः न्यायालय प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है।

प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्च वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
लूनकरनसर